कार्यालय **परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, नई टिहरी,**के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **2019-20**की संप्रेक्षा श्री के.पी.सिंह, स.ले.प.अ., श्री बरुण शर्मा, स.ले.प.अ.तथा श्री अनुज कुमार सिंघल, स.ले.प.अ.(त) द्वारा श्री ए.के.भारतीय, व. ले.प.अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 1**2.01.2021**से **18.01.2021**तक संपादित की गयी |

भाग-I

1. **(क) परिचयात्मक:** कार्यालय **परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, नई टिहरी,** के लेखा/अभिलेखों की विगत वित्तीय वर्ष **2017-18 से 2018-19 तक** की संप्रेक्षा श्री पी0आर0 चौहान, स.ले.प.अ., श्री केदार सिंह, स.ले.प.अ.तथा श्री रविन्द्र सिंह , ले.प. द्वारा श्री बी0एस0चन्देल, व. ले.प.अ. के पर्यवेक्षण में दिनांक **29.04.2019** से **06.05.2019** तक संपादित की गयी |

2. (i)इकाई के क्रिया कला एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:-

(i) भौगोलिक क्षेत्र:--लागू नहीं
(ii) जनसंख्या :---लागू नहीं
(iii) निर्वाचित सदस्यों की संख्या:---लागू नहीं
(iv) इकाई द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या:---लागू नहीं
(v) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:0
(vi) कर्मचारियों की संख्या:-**17**
(vii) इकाई की संपत्तियाँ:-
(viii) इकाई के अपने प्रोजेक्ट:**कोई नहीं**
(ix) योजनाओं की संख्या: **आय-व्यय विवरण के अनुसार**

2(ii) (अ) - कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, टिहरी गढ़वाल को विगत तीन वर्षों के दौरान बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण-

विगत तीन वर्षो (2017-18 से 2019-20) बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति (धनराशि रू0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
	स्थापना	गैरस्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	स्थापना		गैर स्थापना	
							आधिक्य	बचत	आधिक्य	बचत
2017-18	0.00	401.47	129.90	129.90	666.55	363.97	0.00	0.00	0	704.15
2018-19	0.00	704.15	128.33	128.33	674.91	1072.17	0.00	0.00	0	306.89
2019-20	0.00	306.89	123.5	123.5	1331.85	1403.02	0.00	0.00	0	235.82

कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, नई टिहरी, जनपद- टिहरी गढवाल का वर्ष 2017-18 का आय-व्यय विवरण

धनराशि (₹लाख में)

क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियां**	**कुल प्राप्तियां**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अंतिम अवशेष**
1	**एन0आर0एल0एम0**	2.04	69.27	71.31	71.22	0.19
2	**प्र0म0आ0योजना(प्रशा0 मद)**	2.78	5.21	7.99	3.23	4.76
3	**सांसदनिधि(लोकसभा)**	114.90	520.24	635.14	154.35	480.79
4	**सांसदनिधि(राज्यसभा)**	217.85	60.00	277.85	107.08	170.77
5	**बी0आर0जी0फ0**	61.72	1.79	63.51	18.78	44.73
6	**इंदिरा अम्मा**	2.18	10.04	12.22	9.31	2.91
	कुल योग	**401.47**	**666.55**	**1068.02**	**363.97**	**704.15**

कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, नई टिहरी, जनपद-टिहरी गढवाल का वर्ष 2018-19 का आय-व्यय विवरण

धनराशि (₹लाखमें)

क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियां**	**कुल प्राप्तियां**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अंतिम अवशेष**
1	**एन0आर0एल0एम0**	0.19	119.64	119.83	95.29	24.54
2	**प्र0म0आ0योजना(प्रशा0 मद)**	4.76	14.17	18.93	0.78	18.15
3	**सांसदनिधि(लोकसभा)**	480.79	529.52	1010.31	925.35	84.96
4	**सांसदनिधि(राज्यसभा)**	170.77	0	170.77	38.29	132.48
5	**बी0आर0जी0फ0**	44.73	1.58	46.31	0	46.31
6	**इंदिरा अम्मा योजना**	2.91	10.00	12.91	12.46	0.45
	कुल योग	**704.15**	**674.91**	**1379.06**	**1072.17**	**306.89**

कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, नई टिहरी, जनपद-टिहरी गढवाल का वर्ष 2019-20 का आय-व्यय विवरण धनराशि (₹लाखमें)						
क्र.सं.	**मद का नाम**	**पूर्व वर्ष का अवशेष**	**वर्ष के दौरान प्राप्तियां**	**कुल प्राप्तियां**	**वर्ष के दौरान व्यय**	**अंतिम अवशेष**
1	**एन0आर0एल0एम0**	24.54	341.38	365.92	361.3	4.62
2	**प्र0म0आ0योजना(प्रशा0 मद)**	18.15	14.17	32.32	31.34	0.98
3	**सांसदनिधि(लोकसभा)**	84.96	500.00	584.96	456.2	128.76
4	**सांसदनिधि(राज्यसभा)**	132.48	0.00	132.48	69.93	62.55
5	**बी0आर0जी0फ0**	46.31	0.00	46.31	19.0	27.31
6	**इंदिरा अम्मा योजना**	0.45	12.00	12.45	8.72	3.73
7	**रुर्बन मिशन**	**0**	**464.30**	**464.30**	**456.53**	**7.77**
	कुल योग	**306.89**	**1331.85**	**1638.74**	**1403.02**	**235.72**

<u>लेखाओं पर टिप्पणी-:</u>

(i) वर्ष के अंत में बड़ी धनराशि बची हुई है अर्थात योजनाओं का कृयान्वन सही ढंग से नहीं हो रहा है |

(ii) लेखाओं का रख रखाव भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं किया जा रहा है |

धनराशि (₹ लाख में)

2(ii)स-कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, नई टिहरी, जनपद-टिहरी गढवाल का केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय-विवरण

(धनराशि रू0 लाखमें)

वर्ष	मदकानाम	प्रा0 अवशेष	आवंटित धनराशि	कुल धनराशि	वर्ष में व्यय	अंतिम अवशेष
2018-19	सांसद निधि योजना (लोकसभा)	480.79	529.52	1010.31	925.35	84.96
2019-20	सांसद निधि योजना (लोकसभा)	84.96	500.00	584.96	456.20	128.76
2018-19	सांसद निधि योजना (राज्य सभा)	170.77	0	170.77	38.29	132.48
2019-20	सांसद निधि योजना (राज्य सभा)	132.48	00	132.48	69.93	62.55
2018-19	बी0आर0जी0फ0	44.73	1.58	46.31	0	46.31
2019-20	बी0आर0जी0फ0	46.31	00	46.31	19.0	19.00
2018-19	एन0आर0एल0एम0 योजना	0.19	119.64	119.73	95.29	24.54
2019-20	एन0आर0एल0एम0 योजना	24.54	341.38	365.92	361.3	4.62

भाग -2 (ब)

प्रस्तर 01: एन०आर०एल०एम योजना का अनुश्रवणन किया जाना एवं शासनादेश का पालन न किया जाना ।

The GoI established the National Rural Livelihoods Mission (NRLM) to implement the new strategy of poverty alleviation woven around community-based institutions. The Mission's primary objective is to reduce poverty by promoting diversified and gainful self-employment and wage employment opportunities for sustainable increase in incomes. The Mission would work in conjunction with the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS) of MORD and would primarily focus on creating self-employment and wage/job employment opportunities for the rural poor who would enable them to cross the threshold of poverty and become productive agents. NRLM would provide a combination of financial resource and technical assistance to states such that they could use the comprehensive livelihoods approach encompassing four inter-related tasks viz.:

1. mobilizing all rural, poor households into effective self-help groups (SHGs) and their federations;
2. enhancing access of the rural poor to credit and other financial, technical and marketing services;
3. building capacities and skills of the poor for gainful and sustainable livelihoods;
4. Improving the delivery of social and economic support services to the poor.

The National Rural Livelihood Mission constitutes a paradigm shift in the implementation of poverty alleviation programmes in the country. It is built on the lessons from different ongoing programmes of the GOI and the states.

पत्रांकसं 504/१००/ एस.पी.एम.यू./आर.डी./२०१७ बिन्दु सं० १९.५ में स्पष्ट उल्लेख किया है की सक्रिय महिला काम से कम पाँचवी पास होनी चाहिये| ऐसी सक्रिय महिला जो की अच्छी सामाजिक गतिशील करने वाली हो तथा उसे एन०आर०एल०एम के बारे में अच्छी जानकारी है उसे हेतु शैक्षिक मानदंड में शिथिलता प्रदान की जा सकती है |

पत्रांक संख्या 277 / 380 / यूएसआरएलएम / 2019 दिनांक- 01 जुलाई 2019 बिन्दु संख्या 3 मे स्पष्ट उल्लेख है की धनराशि का संबन्धित मद में व्यय का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र ही इस कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा। एवं बिन्दु संख्या 4 में कार्य की भौतिक प्रगति प्रत्येक माह की 5 तारीख को यूएसआरएलएम कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।

पत्रांक संख्या 583 / 378 / यूएसआरएलएम / दिनांक 21.10.2019 को वर्ष 2019-20 में अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखंड शासन द्वारा लक्ष्यो की पूर्ति के संबंध मे आदेश दिये गए थे।

बजट निर्गमन आदेश संख्या - 15 / वर्ष 2019-20 / दिनांक 26 अगस्त 2019 बिन्दु संख्या 4 में स्पष्ट उल्लेख है की प्रशनगत धनराशि उन्हीं कार्यों / प्रयोजनायों पर ही व्यय की जायेगी जिनके लिए स्वीकृति की जा रही है, किसी भी स्थिति में इस धनराशि का व्यावर्तन नहीं किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त DRDA के संगढनात्मक ढ़ाचे के अनुसार प्रत्येक DRDA में एक **अनुश्रवण एवं Evaluation Wing** होगा जो निम्नानुसार कार्य संपादित करेगा

There should be a separate अनुश्रवण and Evaluation wing headed by a Project Economist and functioning directly under the supervision of the Project Director. Apart from अनुश्रवण the progress of all the programmes, this wing should also carry out evaluation/impact studies regularly by independent institutions/experts including NGOs.

The cost of such studies will be met from the respective programme funds. This wing should also monitor issues relevant to poverty in the district.

कार्यालय में संचालित एनoआरoएलoएम से संबन्धित लेखापरीक्षा अवधि 2019-20 के अभिलेख यथा फ़ाइल, बिल- वाउचर से संबन्धित अभिलेख जांच में पाया गया की कार्यालय द्वारा सरल विपणन केंद्र नवीनीकरण कार्य (भवन मरम्मत) पर 18.14 लाख का व्यय किया जा रहा है जबकि NRLM योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों मे गरीब परिवारों को सक्षम बना कर गरीबी रेखा से बाहर लाना है एवं समूहों का गठन / पुनर्गठन कर उन्हेआरoएफ़, सीoआईoएफ़,स्टार्टअपफंड आदि द्वारा ऋण देना है ताकि उस धनराशि को उपयोग में ला कर वे आत्मनिर्भर बन सकें। आगे जांच में यह भी पाया गया की शासन द्वारा इकाई को सीoआईoएफ़ से संबन्धित कुल लक्ष्य 358 का आदेश दिया गया था किन्तु इकाई द्वारा कुल पूर्ति 338 की की गयी साथ ही जांच में यह भी आया के मुख्य विकास अधिकारी एवं डीoआरoडीए कार्यालय के दैनिक समाचार पत्र रु 3585 एवं मुख्य जिला ग्राम विकास अधिकारी/ मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के प्रयोगार्थ शासकीय कार्यों हेतु फ़र्निचर रु 36,096 का व्यय किया गया। जोकि शासनादेश के अनुसार अस्वीकार्य है।

लेखा परीक्षा द्वारा इस सम्बन्ध में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि भवन मरम्मत से संबन्धित भारत सरकार से प्राप्त शासनादेश/ स्वीकृति उपलब्ध करवा दिया जायेगा एवं अन्य निर्माण कार्यों की सूची लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दी जायेगी। सक्रिय महिला के पाँचवीं पास के सर्टिफिकेट प्रस्तुत करवा दी जायेगी इसके साथ कार्यालय में कोई भी अनुश्रवणएवं Evaluation Wing नहीं है एवं monitoring से संबन्धित साक्ष्य प्रस्तुत कर दी जायेगी। विकास खण्ड द्वारा समूहो एवं संगठनों द्वारा आरoएफ, सीoईoएफ आदि से संबन्धित मांग धनराशि प्रस्तुत करा दी जायेगी | सीoआईoएफ़ के लक्ष्यों एवं कार्यालय व्यय हेतु भविष्य में ध्यान रखा जायेगा ।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्यालय द्वारा सरल विपणन केंद्र नवीनकरन कार्य (भवन मरम्मत) से संबन्धित कोई भी प्रमाण पत्र लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट से संबन्धित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराएं गए | भवन मरम्मत से संबन्धित कोई भी भारत सरकार से स्वीकृति आदेश लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए | शासनादेश मे स्पष्ट उल्लेख किया है की सक्रिय महिला का पाँचवी पास होना अनिवार्य है। परंतु इकाई द्वारा कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया। कार्यालय में कोई भी अनुश्रवणएवं Evaluation Wing का प्रावधान नहीं किया गया,अनुश्रवण से संबन्धित कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गए। साथ ही समूहों / संगठनो एवं आरएफ़,सीआईएफ़ आदि से संबन्धित धनराशि की मांग की कोई भी साक्ष्य (फाइल) लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गए एवं शासनादेश मे स्पष्ट है के लक्ष्यों को पूर्ण किया जायेगा परंतु कार्यालय द्वारा लक्ष्य पूर्ति नहीं की गयी। शासनादेश मे स्पष्ट है के अवमुक्त धनराशि स्वीकृति दिये गए कार्य पर ही व्यय की जायेगी परंतु इकाई द्वारा अन्य शासकीय कार्यों पर भी व्यय किया गया है।

भाग -2 (ब)

प्रस्तर-02 : दिशा निर्देशों के विपरीत ब्याज से प्राप्त राशि रु. 39.65 लाख का इकाई के खाते में अवशेष रहना |

उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक संख्या 16/xxvii(14)/2017 दिनांक 17.04.2017 के द्वारा समस्त अधिकारियों को विभिन्न बैंकों में जमा सरकारी धन को कोषागार में वैयक्तिक खाता (पी.एल.ए.) में जमा कराने हेतु आदेशित किया गया था। शासनादेशानुसार समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि, "
उपरोक्त शासनादेशानुसार विभिन्न बैंक खातों में अर्जित ब्याज की धनराशि को राजकोष के लेखाशीर्षक 0049-ब्याज प्राप्तियाँ – 04-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्तियाँ, 800-अन्य प्राप्तियाँ, 12-अन्य प्रकीर्णप्राप्तियों में जमा कराया जाना था। प्राप्तियाँ, 12-अन्य प्रकीर्णप्राप्तियों में जमा कराया जाना था।

क्र.स.	योजना का नाम	ब्याज की राशि (लाख में)
1	सांसद निधि	30.90
2	बी. .आर.जी.ऍफ़	2.59
3	रुर्बन मिशन	6.16
	योग	39.65 लाख

कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण –टिहरी गढ़वाल - के आय व्यय विवरण, बैंक पास बुको,कैश-बुक लेखा-अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवम पूर्व में विभिन्न योजनाओं पर अर्जित ब्याज की कुल धनराशि `. (39.65 लाख / लेखा परीक्षा तिथि जनवरी-2021 तक इकाई के खाते में पड़ी हुई थी,जिसे राजकोष में शीर्ष 0049 में जमा नहीं कराया गया था |

लेखा परीक्षा द्वारा इकाई के संज्ञान में लाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि ब्याज की राशि को शीघ्र ही राजकोष में जमा कर दिया जायेगा |

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है ,

दिशा निर्देशों के विपरीत ब्याज की राशि रु,39.65/ लाख को राजकोष में जमा न करने का प्रकरण उच्च अधिकारियो के संज्ञान में लाया जाता है |

भाग-2(ब)

प्रस्तर 03:- कटौति की गई रायल्टी पर अतिरिक्त रायल्टी ` 22616.195 की कटौति न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या 1621/VII-1/ 2017/8ख/16 दिनांक 17.11.2017 के द्वारा उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 प्रख्यापित की गईथी। यह नियमावली दिनांक 12.01.2015 से प्रवृत हुई समझी जायेगी।

उत्तराखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन न्यास नियमावली, 2017 के नियम 10(5) के अनुसार सरकारी निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली बालू, बजरी पर जिला खनिज फाउंडेशन न्यास पर सीधे जमा किए जाने पर रायल्टी का 25 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जमा किया जायेगा।

कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण टिहरी गढवाल के अन्तर्गत सांसद निधि योजना से सम्बंधित निर्माण कार्यों के लेखा-अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के निर्माण कार्यों के सापेक्ष संलग्नक के अनुसार धनराशि ` 90464.78 की रायल्टी की कटौती की गई थी।

आगे जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा उक्त रायल्टी की धनराशि ` 90464.78 के सापेक्ष जिला न्यास निधि अंशदान हेतु अतिरिक्त रायल्टी 25 प्रतिशत की दर से धनराशि ` 22616.195 उक्त सम्बंधित निर्माण कार्यों से कटौती कर के जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में जमा कराई जानी चाहिए थी। किन्तु विभाग द्धारा अतिरिक्त रायल्टी की कटौति नही की गई थी।

लेखापरीक्षा द्धारा इगित किये जाने पर विभाग ने तथ्यों एवं ऑकडों की पुष्टि करते हंए बताया कि अतिरिक्त रायल्टी की कटौति कर ली जायेगी ।

**अतः कटौति की गई रायल्टी ` 90464.78 पर अतिरिक्त रायल्टी** ` 22616.195 की कटौति की का प्रकारण उच्चाधिकारिओं के संज्ञान में लाया जाता हैं।

संलगनक-क

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रयोग की गयी सामग्री (Sand, B/stone and stone)	कतौटी गई रायल्टी की धनराशि (धनराशि रू.में)
1	ग्राम सदड गॉव (मुखेम) के बेसिक स्कूल से मंदिर तक सी.सी. रोड का निर्माणकार्य	41.76x 154cm3	6431
2	दिलखल्याडी से खेल मैदान तक सी.सी. सम्पर्क मार्ग का निर्माणकार्य	31.20 x 154cm3	4804
3	सी.सी. सम्पर्कमार्ग का निर्माण कार्य(खेतपाल)	27.74 x 154cm3	4271.19
4	ग्ा्राम खिटटा मेंहमलोकीनामेंतोक से चिन्याडू तक सी.सी रोड का निर्माणकार्य	58.61 x 154cm3	9025.94
5	ग्रा. प. घनसाडीबासर के खोलगढगदेरातोक से रा. इ. का. नौलधारबासर तक सी.सी. रोड का निर्माणकार्य	34.30x 154cm3	5282.20
6	धारगॉवभिलंगपथरैडा से गॉव तक सी.सी. निर्माण कार्य	29.43 x 154cm3	4532
7	ग्रा. प. पोखरियाल गॉव मेंतोकसडक से नागराजतकसी.सी. खंडजा का निर्माणकार्य	43.24 x 154cm3	6658.96
8	ग्रा. प. ओनालगॉवभदरामें खालनामेंतोक से श्याम सिंह छानीतकदीवार एवंसी.सी. खंडजा का निर्माणकार्य	44.41 x 154cm3	6839.14
09	ग्रा. प. गोलाडीमेंजू.हा. स्कूल से	28.79 x 154cm3	4433.66

	छानीतकसी.सी. खंडजा का निर्माणकार्य		
10	ग्रा. खिटटमेंहमलोकीनामेंतोक से चिन्याडूतकसी.सीनिर्माणकार्य	58.61 x 154cm3	9025.25
11	मजखेतमेंखलडगॉवमेंतथ्यानामेंतोक से खि बैडतकसी.सी खंडजा का निर्माणकार्य	38.61 x 154cm3	5945.94
12	ग्राम खिटटामें मुख्य मार्ग से राजेन्द्रपोखरियाल के मकानतकसी.सी. मार्ग का निर्माणकार्य	**42.56** x 154cm3	**6554.24**
13	ग्रामडाबरीमेंहुणखा से डाबरी की हातियोंतकसी.सी. निर्माणकार्य	**63.07** x 154cm3	**9712.78**
14	ग्रामकुडियालगॉवमेंसडक से छोलीकीडनामेंतोकतकसी.सी. मार्ग का निर्माणकार्य	**45** x 154cm3	**6948.48**
			90464.78
		25% (अतिरिक्तरायल्ट)	**22616.195**

भाग-II(ब)

प्रस्तर 04 - इन्दिरा अम्मा योजना के अंतर्गत शासनादेश का उलंघन करते हुए चयनित स्वयं सहायता समूह को निर्धारित अवधि से अधिक समय के लिए कैंटीन प्रदान किया जाना।

उत्तराखंड शासनादेश सं. 1076/XI/2017/56(27) 2015 दिनांक 14 जुलाई 2017 के अनुसार इन्दिरा अम्मा योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवार की महिलाएं जो कि स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित है, को इन्दिरा अम्मा कैंटीन के संचालन के माध्यम से निरंतर आय सृजन युक्त रोजगार उपलब्ध कराते हुए आर्थिक सुदृढीकरण करना है। साथ ही उक्त शासनादेश के अनुसार नगर निगम क्षेत्रों में संचालित राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित/ सहायतितकैंटीनों के संचालन का कार्यकाल अधिकतम 01 वर्ष होगा। एवं नगर निगम क्षेत्रों को छोडते हुए अन्य संस्थाओं/निकायों/कार्यालयों आदि में राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित/सहायतित कैंटीनों के संचालन का अधिकतम कार्यकाल 2 वर्ष होगा। तत्पश्चात 4 वर्ष बाद ही वे पुन: कैंटीन संचालन के पात्र होंगे।

कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, टिहरी गढ़वाल इन्दिरा अम्मा योजना से संबन्धित अभिलेखों एवं इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के आधार पर प्रकाश में आया कि कार्यालय के अंतर्गत संचालित इन्दिरा अम्मा कैंटीन का स्वयं सहायता समूह वार कार्यकाल निमन्वत है:-

क्रम सं	**स्वयं सहायता समूह का नाम**	**कार्यस्थल का नाम**	**तिथि से**	**तिथि तक**	**अवधि**
1	विनीता स्वयं सहायता समूह	गजा रोड चम्बा	19/11/2015	मार्च 2020	4 वर्ष 4 माह
2	भैरव स्वयं सहायता समूह	विकास भवन टिहरी	03/12/2016	मार्च 2020	3 वर्ष 4 माह
3	सेवा निर्मल स्वयं सहा. समूह	जिला चिकित्सालय बौराड़ी	03/12/2016	मार्च 2020	3 वर्ष 4 माह

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि उपरोक्त तीनों स्वयं सहायता समूह को 2 वर्ष से अधिक इन्दिरा अम्मा कैंटीन संचालन हेतु प्रदान की गयी। जो कि उपरोक्त शासनादेश का उलंघन है जिस कारण अन्य स्वयं सहायता समूह को निरंतर आय सृजन युक्त रोजगार उपलब्ध कराते हुए आर्थिक सुदृढीकरण का मौका नहीं मिल सका।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की एवं अवगत कराया कि भविष्य में चयनित समूह को 2 वर्ष के लिए ही कैंटीन संचालन हेतु प्रदान की जाएगी।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योकि एक ही समूह को निर्धारित अवधि से अधिक समय के कैंटीन प्रदान किया जाना उपरोक्त वर्णित शासनादेश का उलंघन है साथ ही अन्य स्व्यन सहायता समूह को कैंटीन संचालन का मौका न मिलने से योजना का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता है।

अत: इन्दिरा अम्मा योजना के अंतर्गत शासनादेश का उलंघन करते हुए चयनित स्वयं सहायता समूह को निर्धारित अवधि से अधिक समय के लिए कैंटीन प्रदान किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर 05: - विगत पाँच वर्षों से आबंटित सरकारी आवासों की रु. 2.33 लाख लाइसेन्स फीस की कटौती न किया जाना।

उत्तराखण्ड शासनादेश सं. 57(1)/XXVII (7)/18-50(14)/2017 दिनांक 15 फरवरी 2019 के अनुसार राज्य सरकार/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों आदि के नियंत्रणाधीन समस्त आवासों जिनका आवंटन अधीनस्थ कार्मिकों किया जाता है हेतु लाइसेन्स फीस दो गुनी किए जाने के आदेश निर्गत किए।

कार्यालय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, टिहरी गढ़वाल में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की आवास आबंटन एवं वेतन संबंधी अभिलेखों की जांच के दौरान प्रकाश में आया कि कार्यालय के अंतर्गत 16 कर्मचारियों/अधिकारियों को सरकारी आवास आबंटित किया गया है परन्तु उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से जुलाई 2015 से लाइसेन्स फीस की कटौती नहीं की जा रही है। इस प्रकार जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास आबंटित किया गया है उनसे रु. 232800/- की लाइसेन्स फीस की कटौती नहीं की गयी है। (विवरण संलग्न)

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि की एवं अवगत कराया कि संबन्धित कार्मिकों से लाइसेन्स फीस की वसूली की जाएगी।

इकाई का उत्तर स्वत: ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

अत: विगत पाँच वर्षों से लाइसेन्स फीस के रूप में रु. 2.33 लाख की कटौती न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

कटौती की जाने लाइसेन्स फीस का विवरण:(जुलाई 2015 से दिसम्बर 2020 तक)

क्रम सं.	नाम	पदनाम	टाइप	आबंटन तिथि	माह की सं.		निर्धारित लाइसेन्स फीस		लेखापरीक्षा तिथि तक की जाने वाली कटौती		कुल की जाने वाली कटौती
					जुलाई 2015 से जनवरी 2019 तक	फरवरी 2019 से दिसम्बर 2020 तक	जुलाई 2015 से जनवरी 2019 तक	फरवरी 2019 से दिसम्बर 2020 तक	जुलाई 2015 से जनवरी 2019 तक	फरवरी 2019 से दिसम्बर 2020 तक	
1	श्री वी. के. रतुड़ी	PE	III	02/01/2009	44	19	210	420	9240	7980	17220
2	श्री सूरत सिंह रावत	Actt.	III	17/05/2002	44	19	210	420	9240	7980	17220
3	श्री जगदंबा प्रसाद बडोनी	Actt.	III	17/05/2002	44	19	210	420	9240	7980	17220
4	श्री श्रीधर लाल कोली	OS	III	04/08/2008	44	19	210	420	9240	7980	17220
5	श्री राजकुमार रावत	ASO	III	07/06/2003	44	19	210	420	9240	7980	17220
6	श्रीमति दीपाखंडुरी	JC	III	28/06/2006	44	19	210	420	9240	7980	17220
7	श्री भगवान सिंह राणा	Actt	III	17/05/2002	44	19	210	420	9240	7980	17220
8	श्री गौरव शाह	Nazir	II	14/12/2009	23	00	120	00	2760	00	4020
			III	22/09/2020	00	03	00	420	00	1260	
9	श्री रामचन्द्र सिंह कुमाई	JC	III	15/06/2011	44	19	210	420	9240	7980	17220
10	श्री सी. लाल आर्य	JC	III	17/05/2002	44	19	210	420	9240	7980	17220
11	श्री हर्ष ओम	JC	III	17/05/2002	44	19	210	420	9240	7980	17220
12	कु. शैफालीपँवार	JC	III	08/12/2009	44	19	210	420	9240	7980	17220

13	श्री श्यामलाल	Driver	II	17/05/2002	44	19	120	240	5280	4560	9840
14	श्री योगेश उनियाल	JC	II	17/05/2002	44	19	120	240	5280	4560	9840
15	श्री धर्म सिंह पुण्डीर	Peon	II	17/05/2002	44	19	120	240	5280	4560	9840
16	श्री राम सिंह कंडवाल	Peon	II	17/05/2002	44	19	120	240	5280	4560	9840
योग									**125520**	**107280**	**232800**

भाग-III

(क) परिचयात्मक:कार्यालय **परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, नई टिहरी,**के लेखा/अभिलेखों की वित्तीय वर्ष **2019-20** की संप्रेक्षा श्री के.पी.सिंह, स.ले.प.अ., श्री बरुन शर्मा, स.ले.प.अ.तथा श्री अनुज कुमार सिंघल,स.ले.प.अ.(त) द्वारा श्री ए.के.भारतीय, व. ले.प.अधिकारी . के पर्यवेक्षण में दिनांक 1**2.01.2021**से**18.01.2021**तक संपादित की गयी |

(ख) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-2 (अ)**	**भाग-2(ब)**	**स्टैन**
स्था0नि0/प्रति0सं0-73/2017-18	शून्य	प्रस्तर सं0-01 से 06	शून्य
01/2019-20		1 2 3	

(ग) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**
		अप्रस्तुत		

भाग - IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

----सामान्य----

भाग - V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, नई टिहरी,**तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है | तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:-

2. सतत अनियमितताएँ**: शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:-

क्रं.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
01.	श्री भरत चन्द्र भट्ट	परियोजना निदेशक	01.04.2017 से 17.09.2020
02	श्री.आनन्द सिंह	परियोजना निदेशक	18.09.2020 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **परियोजना निदेशक, ज़िला ग्राम्य विकास अभिकरण, नई टिहरी, जनपद-टिहरी गढ़वाल** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि इसकी अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे **उपमहालेखाकार/ए.एम.जी-1 कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन,कौलागढ़ देहरादून - 248195** को प्रेषित कर दी जाये |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
ए.एम.जी-1